

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 21/2025

राजस्थान सरकार जरिये खेमाराम, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

श्री नूर मोहम्मद पुत्र श्री उस्मान

मैसर्स शेख ऑटो पार्ट्स सराना रोड

टांटोटी ग्राम पंचायत टांटोटी तहसील सरवाड जिला अजमेर

.....अप्रार्थी


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित: श्री मुकेश बुगालिया, प्रवर्तन निरीक्षक – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 12.11.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 25.09.2024 को विभागीय निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध दुरुपयोग एवं गैस रिफिलिंग रोकथाम अभियान के तहत जांच दल मैसर्स शेख ऑटो पार्ट्स सराना रोड टांटोटी तहसील सरवाड जिला अजमेर पहुँचे। जांच दल में श्री खेमाराम प्रवर्तन अधिकारी, श्री अतुल कुमार बडाया प्रवर्तन निरीक्षक, जांच करने पर मौके पर 04 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस एवं एक इलेक्ट्रीक मोटर (गैस ट्रांसफर की मशीन बिना आईएसआई मार्का) मय दो लोहे के रेग्युलेटर मय प्लास्टिक पाईप एवं इलेक्ट्रीक वायर पाये गये मौके पर उपस्थित फर्म मालिक श्री नूर मोहम्मद से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक कार्य में उपयोग लिये जाने के संबंध में पूछताछ पर घरेलू गैस सिलेण्डरों द्वारा इलेक्ट्रीक मोटर की सहायता से घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डरों से स्वयं की गाडी में एलपीजी गैस भरी जाती है। इस प्रकार श्री नूर मोहम्मद द्वारा घरेलू एलपीजी का व्यवसायिक उपयोग किया जाना स्पष्ट है। मौके पर श्री नूर मोहम्मद ने घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध गैस रिफिलिंग एवं व्यावसायिक उपयोग के विषय में पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया है न ही इस बाबत कोई लाईसेंस/परमिट/दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत किये हैं। उक्त 14.2 किलोग्राम गैस क्षमता के कुल 04 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस मार्का एक इलेक्ट्रीक मोटर (गैस ट्रांसफर की मशीन बिना आईएसआई मार्का) मय दो लोहे के रेग्युलेटर मय प्लास्टिक पाईप एवं इलेक्ट्रीक एवं इलेक्ट्रीक वायर जब्त सरकार किया जोकर मौके पर ही मैसर्स आत्मिका गैस एजेन्सी भिनाय के प्रतिनिधि श्री रविकुमार बन्जारा पुत्र श्री बाबूलाल निवासी बकरी मौलास प.स. परबतसर जिला नागौर को बुलवाकर तौल कार्यवाही करवाकर अग्रिम आदेशों तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुदरगी में दिया गया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का गैस रिफिलिंग एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1)सी एवं 7(1) सी का



जिला कलक्टर
अजमेर

उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार पाया गया।

NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	163215	HPCL	16.250	15.800	0.3450
3	663547	IOCL	30.120	16.00	14.120
3	685893	IOCL	30.200	15.900	14.300
4	674482	IOCL	16.580	16.200	00.380

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर जब्तशुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस एवं एक इलेक्ट्रीक मोटर (गैस ट्रांसफर मी मशीन बिना आईएसआई मार्का) मय दो लोहे के रेग्युलेटर मय प्लास्टिक पाईप एवं इलेक्ट्रीक वायर को राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी नोटिस तामिल बावजूद गैर हाजिर। परोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर परोकार सरकार को प्रार्थना पत्र पर सुना गया।


पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 25.09.2024 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। 04 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस एवं एक इलेक्ट्रीक मोटर (गैस ट्रांसफर की मशीन बिना आईएसआई मार्का) मय दो लोहे के रेग्युलेटर मय प्लास्टिक पाईप एवं इलेक्ट्रीक वायर पाया गया। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गये ना ही सिलेण्डर भण्डारण का कोई सन्तोषजनक जवाब मौके पर दिया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का गैस रिफिलिंग एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1)सी एवं 7(1) सी का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस एवं एक इलेक्ट्रीक मोटर (गैस ट्रांसफर की मशीन बिना आईएसआई मार्का) मय दो लोहे के रेग्युलेटर मय प्लास्टिक पाईप एवं इलेक्ट्रीक वायर 29.250 किग्रा एलपीजी को राजसात फेरमावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर के माध्यम से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 25.09.2024 में अप्रार्थी के उपरोक्त अवैध कृत्य स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये जब्तशुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं एक इलेक्ट्रीक मोटर (गैस ट्रांसफर की मशीन बिना आईएसआई मार्का) मय दो लोहे के रेग्युलेटर मय प्लास्टिक पाईप एवं इलेक्ट्रीक वायर 29.250 किग्रा एलपीजी को आवश्यक


जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।


(लोक बंधु)

जिला कलक्टर, अजमेर

